क्रम संख्या–17

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 15 फरवरी, 2013 ई0

माघ 26, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 60/XXXVI(3)/2013/63(1)/2012

देहरादून, 15 फरवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'डी आई टी विश्वविद्यालय विधेयक, 2012'** पर दिनांक 13 फरवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

डी आई टी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 10 वर्ष 2013}

तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़", (सोसाईटी) देहरादून द्वारा प्रायोजित **डी आई टी विश्वविद्यालय,** देहरादून नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डी आई टी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2\. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) **'विद्या परिषद्'** से विश्वविद्यालय का विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) **'प्राधिकारी'** से विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) **'व्यवस्थापक मण्डल'** से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;

(घ) **'प्रबंध मण्डल'** से विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल अभिप्रेत है;

(ङ) **'पाठ्यक्रम मण्डल'** से विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है;

(च) **'परीक्षा मण्डल'** से विश्वविद्यालय का परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है;

(छ) **'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक'** एवं **'वित्त अधिकारी'** से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं 'वित्त अधिकारी' अभिप्रेत है;

(ज) **'परिसर'** से विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है;

(झ) **'संघटक महाविद्यालय'** से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) **'कैरियर एकेडमी सैण्टर'** से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई–मेल, इण्टरनेट,

पारस्परिक संवाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;

(ट) परिसर के **'निदेशक'** या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य/डीन से उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और जहां प्राचार्य/डीन नहीं है, उप प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य/डीन के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ठ) **'दूरस्थ शिक्षा पद्धति'** से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इण्टरनैट पर ऑनलाईन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियां, ई–मेल, इण्टरनैट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रुप से उपयोग किया गया हो;

(ड) **'जमा राशि'** से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि वापसी योग्य है;

(ढ) **'संकायाध्यक्ष'** से विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ण) **'विभाग'** से विश्वविद्यालय का विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है, जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो;

(त) **'कर्मचारी'** से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय का अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है;

(थ) **'वित्त समिति'** से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(द) **'संकाय'** से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ध) **'शुल्क'** से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि शुल्क के तहत आती है एवं वापसी योग्य नहीं है;

(न) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(प) **'हाल'** अथवा **'छात्रावास'** से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;

(फ) **'इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़'** से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाईटी अभिप्रेत है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 21, न्यू कैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून –248001 में अवस्थित है;

(ब) **'प्रायोजित संस्था' (प्रमोटिंग सोसाइटी)** से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़", देहरादून उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(भ) **'विहित'** से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(म) **'स्थायी निवासी'** से राज्य के ऐसे निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास/स्थायी निवास का वैध प्रमाण पत्र हो;

(य) **'क्षेत्रीय केन्द्र'** से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया हो;

(र) **'राज्य'** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ल) **'परिनियम', 'नियम' और अध्यादेश'** से विश्वविद्यालय के 'परिनियम', 'नियम' और 'अध्यादेश' अभिप्रेत है;

(व) **'अध्ययन केन्द्र'** से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;

(श) **'अध्यापक'** से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरुप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर का निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है;

(ष) **'यू0जी0सी0'** से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(स) **'विश्वविद्यालय'** से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित डी आई टी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ह) 'निकाय' से विश्वविद्यालय का निकाय अभिप्रेत है;

(क्ष) **'कुलाध्यक्ष'** (विजिटर) से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय – दो
विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3\. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, (सोसाइटी) देहरादून, को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 'डी आई टी विश्वविद्यालय' स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) प्रायोजित संस्था द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये:–

(क) प्रायोजित संस्था के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमो की प्रकृति तथा प्रकार;

(घ) संकायों की प्रकृति, आरम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य;

(ङ) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधाएं;

(च) आगामी पांच वर्षो के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(झ) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूट की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरुप का ब्योरा;

(ट) प्रायोजित संस्था में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;

(ठ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति; तथा

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तो की, जिनकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जांच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्था ने सभी शर्ते और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है और उसे 'डी आई टी विश्वविद्यालय' ज्ञात नाम से उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय, 'डी आई टी विश्वविद्यालय' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद दायर कर सकेगा और उस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र की स्थापना अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालय पाँच वर्ष की अवधि के बाद राज्य में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय–सीमा नहीं होगी।

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिये, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसे कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (स्प्लिट) परिसर देहरादून क्षेत्र में ही स्थापित कर सकता है।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।

(5) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियां, प्रायोजित संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर, विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।

(6) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(7) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, परिसर व अध्ययन केन्द्र आदि में आधारभूत एवं अन्य सुविधाएं यू0जी0सी0 एवं शीर्ष वैधानिक नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप होगी।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा। हालांकि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रित अन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, एवं कैरियर एकेडमी सैण्टर्स हो सकते है, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सामूहिक अनुसंधान कार्य एवं शिक्षण कार्य कर सकता है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं :–

(क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य शाखाओं, जैसे की विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्ययन, अध्यापन, परिक्षण एवं शोध कार्यो को प्रदान करना एवं व्यवस्था करना;

(ख) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एव दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों आदि में परिसर एवं संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री एवं पी. एच. डी. डिग्री, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया गया हो को स्थापित करना एवं प्रदान करना, किन्तु विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहन हेतु ऐसे नये अन्य डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार होगा;

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना;

(घ) परीक्षा केन्द्रों को स्थापित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षाओं अथवा अन्य प्रणाली के आधार पर प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परिसर की स्थापना करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एव दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना द्वारा अध्ययन गोष्ठियाँ, अधिवेशन, कार्यशिवर, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन, इत्यादि करना;

(ज) वाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं वाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;

(झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान एवं नियमों के अन्तर्गत ऑफ–शोर कैम्पस की स्थापना करना।

(ञ) जैसे कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिऐ आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात् :–

(क) तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एव दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन, परीक्षण एवं शोध कार्य, शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियां सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हो;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं संस्थित और प्रदान करना जिन्होंनेः–

(1) विश्वविद्यालय या इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सैन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; अथवा

(2) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तो के अधीन मानद् उपाधियों, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(च) ऐसी फीस, जमा, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय–समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्येत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय अथवा इसके परिसर या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन

केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सैण्टर्स में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ञ) प्रायोजित संस्था की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर ऐकेडमिक सैण्टर्स के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना;

(ट) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए हाल/छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

(ठ) आंवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्त विनिर्दिष्ट करना;

(ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(त) शिक्षकों, अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाऐं, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(थ) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(द) विश्वविद्यालय, इसके परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;

(ध) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उड्डयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते है, किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा;

(न) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होगी;

(प) फिल्म कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी.डी., डी.वी.डी. और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण अथवा आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गयी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;

(ब) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;

(भ) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना;

(म) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व संभव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों;

(य) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों

अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुंच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने का प्रतिबन्ध है :

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुये भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेंगा।

अध्याय –तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाध्यक्ष (विजिटर)

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति–कुलपति;

(ङ.) कुल सचिव;

(च) संकायाध्यक्ष;

(छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

12. (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगें।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थातः–

(क) विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह संतुष्ट हो कि कोई आदेश, कार्यवृत्त, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अध्यादेश, परिनियम अथवा नियम के अनुरुप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगें, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(ग) मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना होगा।

कुलाधिपति

13. (1) प्रायोजित संस्था अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उनके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगीं।

कुलपति

14. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे; अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य ;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित एक सदस्य जो कि संयोजक के रुप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे व्यवस्थापक मण्डल को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन्र करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक जांच के उपरान्त, व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेगा।

प्रति–कुलपति

15. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के पुर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति–कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुल सचिव

16. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसे कि विहित की जायें।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर आपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाऐं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

संकायाध्यक्ष

17. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी 18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी गण 19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात्:–

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति; और

(ड.) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित कियें जायेंगे।

व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां 21. (1) व्यस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगेः–

(क) व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष (यदि हो तो) को प्रायोजित संस्था के सदस्यों में से किसी सदस्य को नामित किया जाएगा।

(ख) कुलाधिपति – उपाध्यक्ष;

(ग) कुलपति – सदस्य सचिव

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित – दो शिक्षाविद

(ड.) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(च) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित – पांच सदस्य

(छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित – दो सदस्य

(ज) प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नामित अधिकारियों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित– दो सदस्य

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो, का पुनर्विलोकन;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;

(घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चिय करना;

(च) राज्य सरकांर को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

(छ) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों, के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये है;

(ज) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना; और

(झ) विश्वविद्यालय के सभी खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रतिं–कुलपति (यदि है तो)

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पांच सदस्य;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर नामित दो प्राध्यापक;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर दो संकायाध्यक्ष;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव/सचिव;

(ज) कुल सचिव गैर – सदस्य सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

विद्या परिषद

23. (1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) कुल सचिव – सचिव;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन

निर्मित नियमों व परिनियमों के अंतर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षाणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जाए।

वित्त समिति

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव /सचिव;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–पाँच

परिनियम और नियम

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियम व शर्तें, तथा उनकी शक्तियाँ व कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और

सेवा शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवाद के निराकरण की प्रक्रिया;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करना;

(ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मलित है;

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क;

(ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार की संस्थित करना;

(ड) पदों का सृजन और समापन करना;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों/कर्मचारीयों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही;

(ण) अन्य मामले, जो विहित किये जाएं।

(त) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनाँक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरक.र के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बन सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुये, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसे विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है; अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों और विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्ते और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु;

(झ) छात्रों से विभिन्न विषयों के लिये शुल्क व जमा राशि लिया जाने हेतु;

(ञ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाए।

नियम कैसे बनाए जायगें

31. (1) नियम व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेगें, जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनाँक से दो माह के अंदर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के, अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

32. व्यस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

33. (1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपधारा (1) में वर्णित प्रवेशित विद्यार्थियों, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 26

प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह "ग" व "घ" श्रेणी के पदों हेतु योग्यताधारियों की इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियाँ की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

34\. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

अपील का अधिकार

35\. विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडम्रिक सैण्टर्स के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधि एवं पेंशन

36\. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित किये जाये, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद

37\. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रुप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन 38. धारा 20 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझें।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति 39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता/भरती है, सदस्य बना रहता है।

सदभावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए प्रतिसंरक्षण 40. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधि कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अध्यादेशों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित हैं, संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध 41. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भीः—

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति–कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा व्यस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा व्यस्थापक मण्डल के पूर्वानुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि 42. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पाँच करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रुप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जायेगा।

सामान्य निधि 43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी; अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

45. धारा 42, 43 और 44 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

46. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उ उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मा को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

लेखा व लेखा परीक्षा

47. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगीं।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टैंट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए॰आई॰) के सदस्य हों।

(3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

48. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक, रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

49. (1) यदि प्रायोजित संस्था द्वारा डी आई टी विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समापन का प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन, जैसी विहित की जाय, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय राज्य सरकार

द्वारा विहित किये जाये; परन्तु यह कि उसके लिए प्रायोजित संस्था को 'कारण बताओ नोटिस' के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविधिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था में निहित हो जाएगी।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

50. (1) धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिये होने वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाईयों का निराकरण

51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और अपवाद

52. (1) डी आई टी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।